न्यायालयीन प्रकरण

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र.डी 258/101/2000/पी.डबल्यू.सी./चार

भोपाल, दिनांक 17.2.2000

प्रति,

1. संचालक,
कोष, लेखा म.प्र.
भोपाल.
2. समस्त संयुक्त संचालक,
कोष, लेखा एवं पेंशन,
मध्यप्रदेश.
3. समस्त जिला कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषयः- न्यायालयीन प्रकरणों में समय-सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत करना ।

उक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-19-1/2000/1/ली.से., दिनांक 14.1.2000 की प्रतिलिपि संलग्न है।

2 न्यायालयीन प्रकरणों में शासन पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत करने में विलंब होने से पेंशन प्रकरणों को निराकरण नहीं हो पा रहा है। न्यायालयीन प्रकरणों में जबाबदावा आपके द्वारा प्रस्तुत करने में ढिलाई पाये जाने तथा न्यायालय द्वारा ब्याज के आदेश होने पर संबंधित प्रभारी अधिकारी से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

हस्ता/-
(एम.पी. व्यास)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 19-1/2000/1/ली.से. भोपाल, दिनांक 14.1.2000

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय-भोपाल।

विषय:- न्यायालयीन प्रकरणों में समय-सीमा में जबाबदावा प्रस्तुत करना।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 10-12/99/1/9 इलरंक 16.8.99 एवं ज्ञापन क्र. 415/846/99/1/ली.से. दिनांक 7.12.99

उपरोक्त संदर्भित ज्ञापनों द्वारा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने, प्रभावी प्रतिरक्षण करने समीक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। दिनांक 16.8.99 के परिपत्र की कंडिका 2(स) में विभागों के सभी प्रमुख सचिव/सचिवों से यह अपेक्षा की गई है कि उनके द्वारा विभाग में संधारित न्यायालयीन प्रकरणों की पंजियों का प्रत्येक 15 दिवस में अवलोकन कर समीक्षा की जावे।

2. शासन को यह जानकारी मिली है कि नयायालयीन प्रकरणों में शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करने में विलम्ब होने से पेंशन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में आपका ध्यान उपरोक्त ज्ञापनों की ओर आकृष्ट करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा विभाग द्वारा प्रस्तुत करने में ढिलाई पाये जाने तथा न्यायालय द्वारा ब्याज के आदेश होने पर संबंधित अधिकारी से वसूली की कार्यवाही की जावे।

हस्ता/-
(किरण विजय सिंह)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग